Serial No & Date of issue :- ------------------------------------ **Envelope “B”**

शासकीय बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय (स्वशासी समिति) सागर (म.प्र.)

website :- www.bmcsagar.deu.in
Email :- bmcsagar@mp.gov.in

फोन नं. 07582–236270
फैक्स नं. 07582–236457

सुरक्षा व्यवस्था हेतु

निविदा प्रपत्र एवं शर्तें

पृष्ठ क्रं. 01 से 18 तक

निविदा मूल्य रु. 5000/–
(नॉन रिफण्डेबल)

निविदा प्रपत्र एवं शर्तें

1. कार्य का नाम :–

बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय के संपूर्ण परिसर (महाविद्यालय भवन, संबद्ध चिकित्सालय, ओपीडी, छात्रावास, अतिथि गृह, खुला परिसर, सड़के, आवासीय परिसर इत्यादि) की संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था। {सुरक्षाकर्मी, समस्त सुरक्षा सामग्री (जैसे–वर्दी, डंडा, सीटी, वॉकी –टॉकी, मेटल डिटेक्टर, व्हीकल स्टॉपर, सीटी, अस्त्र–शस्त्र इत्यादि सहित)}

2. निविदा धरोहर राशि :–

निविदादाता को निविदा के साथ अग्रिम धरोहर राशि (Earnest Money Deposit) न्यूनतम तीन लाख मात्र (रु. 3,00,000/–) है। सुरक्षा निधि, निविदा की वित्तीय दर स्वीकृत होने पर उसी दर के अनुसार एक माह की राशि के बराबर जमा करानी होगी। उक्त राशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी एफ.डी.आर. जो अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर एवं संबंधित फर्म के नामे एवं सागर में भुगतरित, निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। अग्रिम धरोहर राशि संलग्न अथवा प्राप्त न होने पर निविदा अमान्य हो जाएगी। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता फर्म का होगा।

सफल निविदाकार की धरोहर राशि महाविद्यालय में निविदा अवधि पूर्ण होने तक जमा रहेगी, निविदा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण होने एवं कोई भी अदाएगी शेष न रहने पर वापिस की जाएगी। शेष असफल निविदादाताओं की निविदा धरोहर राशि, आवेदन देने पर तुरंत वापिस की जाएगी।

निविदा निरस्त अथवा अस्वीकृत होने पर निविदा मूल्य राशि रु. 5000/– वापिसी योग्य नहीं है।

3. निविदा की समयावधि :–

अनुबंध के अनुसार निविदा एक वर्ष के लिए मान्य होगी। निविदा काल अनुबंध दिनांक से एक वर्ष के लिए प्रभावी होगा तथा कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर, एक माह का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।

कार्य संतोषजनक पाए जाने पर महाविद्यालय की क्रय समिति एवं कार्यकारिणी समिति की अनुशंसा पर सुरक्षा व्यवस्था की निविदा आगामी एक वर्ष के लिए, फर्म के आवेदन पर आगे बढ़ाई जा सकेगी। किन्तु बढ़े हुए वर्ष हेतु निविदा, निविदा दर में अधिकतम 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ मान्य होगी। निविदा की कुल अवधि, दो वर्ष से अधिक नहीं की जा सकेगी।

4. निविदा का प्रारुप एवं प्रस्तुति विधि :–

निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र को अच्छी तरह से पढ़ने के उपरांत स्पष्ट शब्दों में स्याही या टाईप से भरा जाना आवश्यक होगा। प्रत्येक पृष्ठ एवं प्रस्तुत अभिलेख पर निविदादाता के हस्ताक्षर एवं फर्म की सील लगानी होगी। निविदा प्रपत्र में कोई सुधार (Correction/Overwritting) मान्य नही किया जाएगा। यदि सुधार करना आवश्यक हो तो स्पष्ट रुप से पुनः लिखकर अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करना होगा।

4.1 निविदा फार्म तीन हिस्सों में प्रस्तुत किया जाना है, तीनों हिस्से अलग अलग सील बंदतीन लिफाफों के साथ एक बढ़े लिफाफे में रखकर उसके ऊपर **''महाविद्यालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा वर्ष 2015–16''** लिखकर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

4.2 प्रथम लिफाफे के ऊपर कार्य का नाम एवं अग्रिम धरोहर राशि (Earnest Money Deposit) लिखकर उसके अंदर सिर्फ कार्य की अग्रिम धरोहर राशि (Earnest Money Deposit) का बैंक ड्राफ्ट रखें। बैंक ड्राफ्ट के पीछे फर्म का नाम, कार्य का नाम अवश्य लिखें। इस लिफाफे को "A" नाम देवें।

4.3 द्वितीय लिफाफे के ऊपर कार्य का नाम एवं तकनीकि निविदा लिखकर उसके अंदर प्राप्त निविदा फार्म की मूल प्रति एवं आवश्यक संलग्नक अपने हस्ताक्षर एवं सील लगाकर रखें। इस लिफाफे को "B" नाम देवें।

4.4 तृतीय लिफाफे के ऊपर कार्य का नाम एवं वित्तीय निविदा लिखकर उसके अंदर कार्य निविदा दर निर्धारित परिशिष्ट में भरकर अपने हस्ताक्षर एवं सील लगाकर सील बंद लिफाफे में रखें। इस लिफाफे को "C" नाम देवें।

4.5 प्रत्येक लिफाफे पर निविदादाता का नाम व पता अवश्य लिखा होना चाहिए।

5. निविदा प्रपत्र का विक्रय :–

निविदा प्रपत्र, अधिष्ठाता बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर के कार्यालयीन दिवस एवं समय (प्रातः 10:30 बजे से सायं 5:00 बजे तक) में निर्धारित शुल्क जमा कर, स्वशासी शाखा से दि. 21.09.15 (सोमवार) तक प्राप्त की जा सकती है। साथ ही इंटरनेट से भी हमारी बेवसाईट **www.bmcsagar.edu.in** से चालान फार्म डाउनलोड कर, भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में निविदा शुल्क जमा कर, निविदा डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है। किन्तु डाउनलोड निविदा जमा करते समय निविदा शुल्क चालान/बैंक ड्राफ्ट की मूल कार्यालयीन प्रति आवश्यक रुप से, जमा करानी होगी अन्यथा आपकी निविदा स्वतः निरस्त हो जाएगी।

फर्म द्वारा सुरक्षा व्यवस्था हेतु महाविद्यालय परिसर का भौतिक निरीक्षण, कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय में आकर किया जा सकता है।

6. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि :–

निर्धारित प्रपत्र एवं संलग्नक मोहर बंद लिफाफे में जिसके ऊपर **''महाविद्यालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा वर्ष 2015–16''** अंकित कर अधिष्ठाता, बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर के कार्यालय में दिनांक 03.10.2015 (शनिवार) को दोपहर

12:00 बजे तक जमा की जा सकती है। निर्धारित समयावधि पश्चात कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। डाक विलंब हेतु कार्यालय उत्तरदायी नहींहोगा। विशेष परिस्थितियों में अधिष्ठाता बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर द्वारा अंतिम तिथि बढ़ाए जाने का निर्णय लिया जा सकता है। निविदाकार फर्म को, निविदा प्रपत्र में प्रत्येक पृष्ठ एवं संलग्नक पर हस्ताक्षर एवं सील अंकित होना चाहिए तथा निविदा स्पष्ट होना चाहिए, कांट–छांट नहीं होना चाहिए। अपूर्ण निविदा अस्वीकृत की जावेगी। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित फर्म का होगा।

7. निविदा खोलने की तिथि एवं निविदा का स्वरुप :–

दिनांक 03.10.2015 (शनिवार) को दोपहर 2:00 बजे अधिष्ठाता बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर के बैठक कक्ष में निविदा खोलने हेतु गठित क्रय समिति के सदस्यों एवं निविदादाता अथवा निविदादाता फर्म के प्राधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष निविदाएँ खोली जाएगी। निविदादाता अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के पास फोटो पहचान पत्र एवं निविदादाता फर्म द्वारा जारी प्राधिकार पत्र आवश्यक रुप से होनी चाहिए। संपूर्ण कार्यवाही पंजी में इन्द्राज की जाएगी, जिस पर सभी उपस्थित सदस्यों एवं प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर लिए जाएगें। विशेष परिस्थतियों में अधिष्ठाता, बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर द्वारा निविदा खोलने की तिथि बढ़ाए जाने का निर्णय लिया जा सकता है। विशेष परिस्थति को छोड़कर दोनों निविदाएँ एक ही दिन खोली जाएगी। प्रथमतः लिफाफा “A” खोला जाएगा। तथा जिन निविदादाताओं की धरोहर राशि एवं चाहे गए समस्त संलग्नक नियमानुसार उचित पाई जाएंगे। उन्हीं निविदादाताओं की वित्तीय निविदा लिफाफा “B” खोला जाएगा। किसी भी स्तर में, निविदा के अमान्य होने पर, उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित फर्म/संस्था का होगा।

विशेष परिस्थति को छोड़कर न्यूनतम वित्तीय दर प्रदाता निविदादाता फर्म को महाविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था हेतु चयनित किया जाएगा।

विशेष परिस्थति में, अधिष्ठाता, बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर को यह अधिकार होगा कि यदि वह उचित समझो तो अधिकतम निविदादाता फर्म को बिना कारण बताए महाविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था हेतु चयनित किया जा सकेगा और वह सभी निविदादाताओं को मान्य होगा।

8. निविदा का परीक्षण एवं चयन :–

8.1 विज्ञप्त निविदा त्रिस्तरीय होगी। जो क्रमशः निविदा धरोहर राशि, तकनीकि निविदा एवं वित्तीय निविदा दर लिफाफों के रुप में खोलकर की जावेगी।

8.2 प्रथमतः जिन निविदादाताओं की धरोहर राशि प्राप्त होगी, उन्हीं को तकनीकि निविदाएँ खोलने के लिए अर्ह माना जाएगा। तथा जिन निविदादाताओं द्वारा निर्धारित प्रारुप एवं राशि की सुरक्षा निधि जमा नहीं की जाएगी उन्हें अयोग्य मानकर, उनके द्वारा जमा शेष निविदाएँ (जैसे तकनीकि एवं वित्तीय निविदा की लिफाफे) यथावत जमा कर लिए जावेंगे।

8.3 द्वितीयतः जो निविदादाता फर्में, तकनीकि निविदा में सफल हुए होंगे, उन्हीं निविदादाताओं की वित्तीय निविदाएँ खोली जाएगी। क्रय समिति के सदस्यों द्वारा सभी निविदाओं का सूक्ष्म परीक्षण किया जाएगा तथा चाहे गए सभी अभिलेखोंके विश्लेषण के आधार पर

निविदादाता फर्म को तकनीकि निविदा में अर्ह माना जाएगा। तथा जो निविदादाता तकनीकि निविदा में असफल होंगे, उनकी वित्तीय निविदाएँ नहीं खोली जाएंगी तथा उन्हें यथावत जमा कर लिया जावेगा।

8.4 तृतीयतः जिस निविदादाता की वित्तीय निविदा दर न्यूनतम होगी, उसे चयनित किया जाएगा।

8.5 यदि एक से अधिक निविदादाता की दरें बराबर होंगी तो उस स्थिति में जिस निविदाकार को शासकीय चिकित्सालयों में सुरक्षा व्यवस्था का कार्य अनुभव अधिक होगा उसे प्राथमिकता दी जावेगी।

8.6 किसी भी स्तर में निविदा के असफल होने का संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता फर्म का स्वयं होगा।

8.7 अधिष्ठाता, बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर को अधिकार होगा कि वह यूनतम/अधिकतम दर वाली फर्म को यदि वह उचित समझता है तो बिना किसी कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत कर सकेगा तथा इस संबंध में अधिष्ठाता, बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर का निर्णय अंतिम होगा। निविदा में उल्लेखित कार्यक्षेत्र में बगैर सूचना के किसी भी समय परिवर्तन करने या निविदा निरस्त करने का अधिकार अधिष्ठाता, बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर को है।

8.8 उपरोक्त समस्त बिन्दु सभी निविदादाताओं को मान्य होंगे।

9. कार्य का अनुभव :–

निविदादाता फर्म को निविदा के साथ न्यूनतम 200 बिस्तर वाले शासकीय/गैर शासकीय चिकित्सालय में न्यूनतम तीन वर्ष के सुरक्षा व्यवस्था का का अनुभव होना अनिवार्य है। जिसका वार्षिक टर्न ओबर पचास लाख रुपए होनी चाहिए। उपरोक्त किए गए कार्य का संस्था द्वारा जारी किए गए **प्रमाण पत्र** अनिवार्य रुप से संलग्न किया जाना चाहिए।

10. सुरक्षा कर्मियों की तैनाती :–

निविदादाता को समुचित संख्या (लगभग 50) में सुरक्षा कर्मियों को तीनो पहर (24 घंटे) सातो दिन उपलब्ध कराने होंगे। इस हेतु निविदादाता को कार्य प्रारंभ करने की दिनांक से सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने हेतु घोषणापत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। सुरक्षा कर्मियों की वास्तविक संख्या का निर्धारण अधिष्ठाता, बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर द्वारा किया जाएगा एवं सुरक्षाकर्मियों की संख्या कम या ज्यादा भी की जा सकती है। सुरक्षाकर्मी भूतपूर्व सैनिक/अर्द्धसैनिक/पुलिस बल अथवा एन.सी.सी. प्रशिक्षित/युवा बेरोजगार ही होने चाहिए एवं आवश्यकतानुसार शस्त्र संचालन में निपुण होने चाहिए। सुरक्षा व्यवस्था हेतु कम से कम चार ऐसे बन्दूक धारी सुरक्षाकर्मी तैनात करने होंगे जो निविदाप्रदाता अधिकारी के दिशा–निर्देशानुसार अपने कर्तव्य का पालन करने योग्य हो, सुरक्षाकर्मी को बन्दूक/शस्त्र आपकी फर्म द्वारा ही लायसेंस सहित प्रदाय किए जावेंगे, जिसका निविदा के अतिरिक्त, पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा। साथ ही निविदादाता फर्म द्वारा गश्ती हेतु एक वाहन मय ड्राइवर के साथ उपलब्ध कराना होगा जो प्रातः/दोपहर/शाम/रात में एक–एक बार गश्त अनिवार्यतः करेगा।

निविदादाता फर्म सुरक्षा व्यवस्था हेतु निर्धारित क्षेत्र का कार्यालयीन समय में भौतिक निरीक्षण कर सकते है। महाविद्यालय परिसर लगभग 30 एकड़ में फैला हुआ है। जिसमें कुल 24 भवन निर्मित/निर्माणाधीन (1. महाविद्यालय भवन, 2. लायब्रेरी/लेक्चर भवन, 3. चिकित्सालय भवन, 4. बॉयज हॉस्टल 5. गर्ल्स हॉस्टल 7. नर्सिंग हॉस्टल 8. जे.आर हॉस्टल 9. अतिथि गृह, 10. आवासीय बंगले–2, 11. आवासीय भवन–9 12. ऑडिटोरियम, इलैक्ट्रिक स्टेशन, एनीमल हाउस इत्यादि) है। निविदादाता फर्म को सुरक्षा सामग्री जैसे (सुरक्षाकर्मियों को पूर्ण वर्दी, नेम प्लेट, सीटी, डंडा, रैन कोट, जूते, मोजे, कैप, रैन बूट, अस्त्र–शस्त्र, मेटल डिटेक्टर, वॉकी टॉकी, व्हीकल स्टापर, गश्ती वाहन इत्यादि) उपलब्ध करानी होगी। उक्त समस्त सुरक्षा सामग्री की व्यय राशि निविदा दर में ही सम्मिलित करें।

11. **अनुबंध :–**

सफल निविदादाता को अधिष्ठाता, बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर के मध्य एक वर्ष के लिए सुरक्षा व्यवस्था प्रदाय हेतु अनुबंध कराना अनिवार्य होगा। इस हेतु स्टाम्प पेपर रु. 1000/– नोटरी इत्यादि का व्यय निविदादाता को स्वयं करना होगा। निविदा काल अनुबंध दिनांक से एक वर्ष के लिए प्रभावी होगा तथा कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर, एक माह का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा। अनुबंध की शर्ते, संलग्न प्रपत्रानुसार एवं अधिष्ठाता महोदय के द्वारा पृथक से संयोजित की जा सकेगी।

12. **सुरक्षा व्यवस्था हेतु अनुबंध शर्ते :–**

1. सफल निविदादाता को एक वर्ष के लिए सुरक्षा व्यवस्था की निविदा अनुबंध के आधार पर, निम्न शर्तो के एवं व्यय राशि रु. .... प्रति सुरक्षाकर्मी प्रतिदिन की दर से तथा व्यय राशि रु. .... प्रति लायसेंसधारी बंदूक वाले सुरक्षाकर्मी प्रतिदिन की दर के साथ प्रदाय किया जाएगा। (रिक्त स्थानों को अनुबंध करते समय भरा जाना है)
2. अनुबंध की शर्तों के अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था हेतु जारी संपूर्ण निविदा का पालन करना भी निविदादाता फर्म का अनिवार्य कर्तव्य होगा। अधिष्ठाता महोदय के द्वारा पृथक से नई शर्ते भी संयोजित की जा सकेगी।
3. निविदा काल अनुबंध दिनांक से एक वर्ष के लिए प्रभावी होगा किन्तु कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर, एक माह का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।
4. कार्य संतोषजनक पाए जाने पर क्रय समिति की अनुशंसा एवं कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति उपरांत महाविद्यालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था निविदा आगामी एक वर्ष के लिए, स्वीकृत निविदा दर में अधिकतम 10 प्रतिशत बृद्धि के साथ, फर्म के आवेदन पर बढ़ाई जा सकेगी।
5. निविदादाता फर्म द्वारा निम्न अधिनियमों का पालन अनिवार्य रुप से किया जाएगा एवं निम्न अधिनियमों के अंतर्गत समस्त भुगतानों की जिम्मेदारी निविदादाता फर्म की होगी। इसके अतिरिक्त यदि कोई अन्य अधिनियम श्रम कानून अथवा अन्य कानून जो भी लागू होंगे, का पालन करना अनिवार्य होगा एवं उसके पालन की संपूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता फर्म की होगी :–

1. न्यूनतम वेतन अधिनियम,	2. श्रम अधिनियम,	3. ई.पी.एफ. अधिनियम,
4. ई.एस.आई.सी. अधिनियम,	5. सेवाकर अधिनियिम	6. वेतन एवं बोनस अधि.

6. निविदादाता फर्म द्वारा दी गई वित्तीय निविदा दर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है। किन्तु यदि फर्म द्वारा वित्तीय दर श्रम विभाग द्वारा स्वीकृत, अकुशल की न्यूनतम दर दी जाती है, तो उक्त वित्तीय दर, श्रम विभाग द्वारा स्वीकृत अकुशल की न्यूनतम दर के अनुसार समय–समय पर परिवर्तनशील होगी।

7. निविदादाता फर्म द्वारा नियुक्त किए गए समस्त सुरक्षाकर्मियों की सूची जिसमें उनका नाम, पिता का नाम, पता, बैंक एकाउंट नं., कलर फोटो तथा मोबाईल नं. हो, प्रथम देयक के साथ संलग्न करना होगी। इसके अतिरिक्त नियुक्त कर्मचारियों का फोटो आई. डी., उनके पुलिस चरित्र सत्यापन एवं मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा कि स्थिति में देयक का भुगतान नहीं किया जाएगा।

8. इसीप्रकार जब भी सुरक्षाकर्मियों की संख्या में वृद्धि अथवा कमी की जाए अथवा पुराने सुरक्षाकर्मियों को हटाकर नए सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाए तो कम अथवा ज्यादा होने वाले कर्मियों की सूची उपरोक्तानुसार संलग्नकों के साथ आगामी देयक के साथ संलग्न की जाना अनिवार्य होगा।

9. कार्य प्रारंभ होने के बाद फर्म को अपना प्रतिमाह के देयक का सत्यापन जिसमें सुरक्षाकर्मी की उपस्थिति, सुरक्षा सामग्री की उपलब्धता एवं संतोषजनक कार्य संबंधी टीप लिखे जाने वाले प्रारुप संलग्न कर, संबंधित स्थल के अधिकारी (महाविद्यालय हेतु प्रशासकीय अधिकारी, विभागों हेतु विभागाध्यक्ष, चिकित्सालय हेतु अधीक्षक, छात्रावासों हेतु छात्रावास अधीक्षक, ओपीडी, अतिथि गृह, पुस्तकालय, ऑडिटरोयिम हेतु उनके प्रभारी अधिकारी इत्यादि) से कराना आपका उत्तरदायित्व होगा, तत्पश्चात देयक अधिष्ठाता कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। संबंधित अधिकारियों द्वारा असंतोष व्यक्त करने अथवा अनुपस्थिति इन्द्राज करने पर प्रस्तावित राशि देयक से काट ली जावेगी।

10. निविदादाता फर्म को सुरक्षाकर्मियों पर नियंत्रण एवं सुरक्षा सामग्री की देख–रेख हेतु स्वयं के व्यय से, न्यूनतम दो सुपरवाईजरों की नियुक्ति करना अनिवार्य होगा। नियुक्त किए गए सुपरवाईजरों की सूची, नाम, फोटो, पते एवं मोबाईल नंबर सहित कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उक्त सुपरवाईजर, महाविद्यालय द्वारा नियुक्त सुरक्षा व्यवस्था के प्रभारी अधिकारी एवं सुपरवाईजरों के निर्देशन में सुरक्षा कार्य संपादित कराएंगे।

11. सफल निविदादाता फर्म द्वारा निविदा स्वीकृत होने तथा अनुबंध संपादित करने से पूर्व, यदि लिखित आवेदन देकर, निविदा कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है, तो उक्त आवेदन पर, उसकी निविदा निरस्त कर, जमा सुरक्षा निधि की 25% राशि राजसात कर शेष सुरक्षा निधि वापिस कर दी जाएगी।

12. निविदादाता द्वारा निविदा भरी जाने की स्थिति में यह माना जाएगा कि निविदाकार को निविदा प्रपत्र की सभी शर्ते मान्य हैं। सफल निविदादाता द्वारा अनुबंध के पश्चात निर्धारित दिनांक से कार्य पूर्ण रुप से प्रारंभ नहीं किया जाता है तो उसकी निविदा समाप्त कर धरोहर राशि राजसात कर ली जाएगी एवं उसे ब्लेक लिस्टेड कर दिया जाएगा तथा द्वितीय सफल निविदादाता से अनुबंध किया जा सकेगा। जिस पर प्रथम सफल निविदादाता को किसी भी प्रकार का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

13. निविदादाता फर्म द्वारा की जा रही सुरक्षा व्यवस्था संतोषप्रद नहीं पायी जाती है अथवा यदि स्वयं निविदा कार्य करने में असफल होता है या वह स्वयं बिना सूचना के कार्य छोड़ता है तो ऐसी स्थिति में अधिष्ठाता बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर को यह अधिकार होगा कि वह बिना किसी पूर्व सूचना दिए, निविदा अनुबंध समाप्त कर, जमा सुरक्षा निधि को पूर्णतः राजसात कर, शेष अवधि का ठेका द्वितीय निविदाकार को दिया जा सकेगा।

14. अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर द्वारा सुरक्षा कार्य के मासिक देयकों का भुगतान चैक के माध्यम से सत्यापित देयक प्राप्ति के दस दिन के अंदर कर दिया जाएगा। किन्तु किसी समय ऐसा संभव न हो तो निविदादाता फर्म उक्त देरी हेतु ब्याज अथवा हर्जाना प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। किसी भी कारण से देयक के भुगतान न होने पर फर्म को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को उनका मासिक वेतन, ईपीएफ, ईएसआई इत्यादि का भुगतान स्वयं करना होगा। सुरक्षा कर्मचारियों को वेतन भुगतान करने की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता फर्म की होगी।

15. निविदादाता फर्म को अपने अधीनस्थ सुरक्षाकर्मियों का वेतन वितरण किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से करना अनिवार्य होगा एवं बैंक में भेजे जाने वाले पत्र की सत्यापित प्रति अगले देयक के भुगतान के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में देयक का भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता फर्म का होगा।

16. प्रथम देयक के पश्चात के देयकों के साथ, गत माह में भुगतान की गई ई.पी.एफ./ई.एस.आई.सी./सर्विस टैक्स/पे–रॉल इत्यादि के चालान/पत्र द्वारा निर्धारित तिथियों में जमा करना एवं उक्त चालान की सत्यापित प्रति अगले देयक के साथ प्रस्तुत करना निविदादाता फर्म का उत्तरदायित्व होगा अन्यथा की स्थिति में देयक का भुगतान नहीं किया जावेगा। सुरक्षाकर्मियों के ई.पी.एफ./ई.एस.आई./सर्विस टैक्स इत्यादि के अंशदान निविदादाता द्वारा स्वीकृत दर में ही स्वयं वहन करना होगा। अंशदान में परिवर्तन होने पर परिवर्तित राशि जमा करने के जिम्मेदारी निविदादाता फर्म की होगी तथा महाविद्यालय इस राशि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

17. निविदादाता फर्म का यह दायित्व होगा कि वह, फर्म द्वारा नियुक्त किए गए प्रत्येक सुरक्षाकर्मियों के ई.पी.एफ. एलॉटमेंट नंबर, ई.एस.आई. एलॉटमेंट नंबर की सूची, कार्य प्रारंभ करने के दो माह के अंदर महाविद्यालय को उपलब्ध कराएगी। साथ ही समय–समय पर की गई सफाईकर्मियों की वृद्धि/कमी अनुसार, सुरक्षाकर्मियों के ईपीएफ/ईएसआई नंबर की सूची महाविद्यालय को उपलब्ध कराएगी।

18. निविदादाता फर्म यह सुनिश्चित करें कि उसके द्वारा नियुक्त समस्त सुरक्षाकमियों का आपराधिक रिकार्ड नहीं है। यदि कोई कर्मचारी आपराधिक कृत्यों में लिप्त पाया जाता है तो उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा एवं पुलिस द्वारा की जाने वाली आवश्यक कार्यवाही में आपको पूर्णतः सहयोग प्रदान करना होगा।

19. निविदादाता फर्म द्वारा नियुक्त सुरक्षाकर्मियों के वेतन का भुगतान किए गए कार्य दिवस के अनुसार किया जावेगा। अवकाश वाले दिनों अथवा जिस दिन कार्य न हुआ हो उस दिन अथवा सुरक्षाकर्मी की अनुपस्थिति का वेतन भुगतान नहीं किया जाएगा।

20. समस्त सुरक्षाकर्मी, निविदादाता फर्म के नियंत्रण में कार्य करेंगे। किसी भी कर्मचारी की अनुपस्थिति, अवकाश, बीमारी इत्यादि की स्थिति में ठेकेदार को तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। जिसके लिए किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा। किसी भी सफाई कर्मचारी के असंवैधानिक, अनैतिक कार्यो में लिप्त पाए जाने पर ऐसे कर्मचारियों को तुरंत हटाया जाना आवश्यक होगा। ऐसे कर्मचारियों के स्थान पर अन्य उपयुक्त कर्मचारियों को तत्काल उपलब्ध करना आपका उत्तरदायित्व होगा।

21. सुरक्षाकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश/अन्य अवकाश प्रदाय करना निविदादाता फर्म का उत्तरदायित्व होगा। महाविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था सातो दिन आठों पहर की जाना होगी। अतः इसलिए अवकाश वाले दिनों सहित प्रतिदिन चिकित्सालय, अतिथि गृह, हॉस्टल्स, महाविद्यालय इत्यादि का सुरक्षा कार्य किया जाना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय द्वारा सुरक्षाकर्मी की स्वीकृत दर अनुसार उक्त अवकाश वाले दिनों में किए गए कार्यो के देयक का भुगतान प्रतिदिन प्रति सुरक्षाकर्मी की दर से किया जाएगा। अतः सुरक्षाकर्मी को दिए जाने वाले अवकाश से महाविद्यालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए आपके द्वारा अवकाश पर जाने वाले सुरक्षाकर्मी के स्थान पर तुरंत अन्य कर्मचारी की व्यवस्था करनी होगी। अवकाश पर जाने वाले कर्मचारी के स्थान पर तैनात किए गए नए कर्मचारी की सूचना एवं संलग्नक इस कार्यालय को प्रदान किया जान अनिवार्य होगा।

22. मासिक देयक के साथ, सुरक्षाकर्मियों की उपस्थिति पत्रक, जिसमें उनके द्वारा किए गए कार्य की उपस्थिति हो, सुपरवाईजरों द्वारा हस्ताक्षरित संलग्न करना अनिवार्य होगा। सुरक्षाकर्मियों को दिए जाने वाले साप्ताहिक अवकाश का पालन करना, निविदादाता फर्म का उत्तरदायित्व होगा।

23. महिला छात्रावास एवं महिला वार्ड इत्यादि हेतु महिला सुरक्षाकर्मी को रखना अनिवार्य होगा।

24. निविदादाता फर्म को सुरक्षाकर्मी का मासिक रोस्टर माह प्रारंभ होने से पूर्व तैयार कर महाविद्यालय द्वारा नियुक्त सुरक्षा व्यवस्था के प्रभारी अधिकारी एवं सुपरवाईजर से सत्यापन कराकर, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

25. रोस्टर अनुसार सुरक्षाकर्मी निर्धारित स्थल पर कार्य करते हुए पाना चाहिए। भौतिक निरीक्षण के दौरान सुरक्षाकर्मी रोस्टर अनुसार निर्धारित स्थल पर कार्य करते हुए नहीं पाए जाने अथवा बिना किसी पूर्व सूचना के अन्य स्थल पर कार्य करते हुए पाए जाने पर, फर्म की कार्य के प्रति लापरवाही समझी जावेगी। जिसके दण्डस्वरुप महाविद्यालय, फर्म के विरुद्ध अर्थ शस्ति अधिरोपित करने की हकदार होगी तथा महाविद्यालय द्वारा लगाई गई अर्थ शस्ति निविदादाता फर्म को भरना अथवा अपने देयक से कटौत्रा कराना अनिवार्य होगा।

26. महाविद्यालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था उच्च श्रेणी की प्रदाय करना अनिवार्य होगा अतः महाविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था हेतु सुरक्षाकर्मियों को प्रदाय की जाने वाली सुरक्षा सामग्री जैसे सुरक्षाकर्मियों को पूर्ण वर्दी, पहचान पत्र, नेम प्लेट, सीटी, डंडा, रैन कोट, जूते, मोजे, कैप, रैन बूट, अस्त्र–शस्त्र, मेटल डिटेक्टर, वॉकी टॉकी, व्हीकल स्टापर, गश्ती वाहन इत्यादि उपलब्ध कराना निविदादाता फर्म का उत्तरदायित्व होगा। उक्त सुरक्षा सामग्री हेतु व्यय राशि, दी गई निविदा की वित्तीय दर में ही संयोजित है।

27. महाविद्यालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदादाता फर्म को एक गश्ती वाहन मय ड्राइवर के उपलब्ध कराना होगा, जो एक दिन (24 घंटे) में कम से कम चार बार (सुबह / दोपहर / शाम / रात्रि) संपूर्ण महाविद्यालय परिसर की गश्ती करेगी। उक्त सुरक्षा सामग्री / कार्य हेतु व्यय राशि, दी गई निविदा की वित्तीय दर में ही संयोजित है।

28. निविदादाता फर्म चार लायसेंसधारी बंदूक वाले सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराएगी, जो महाविद्यालय प्रशासन के निर्देशानुसार सुरक्षा कार्य संपादित करेंगे। लायसेंसधारी बंदूक वाले सुरक्षाकर्मी के प्रतिदिन की दर निविदा में पृथक से स्वीकृत की गई है।

29. प्रत्येक सुरक्षाकर्मी का कार्य समय 8 घंटे होगा, कार्य समय में उसके द्वारा निर्धारित कर्तव्य स्थल की सुरक्षा करना होगी। सुरक्षा कार्य मुश्तैदी से करने हेतु, सुरक्षाकर्मी नियमित रुप से कर्तव्य स्थल का मुआएना करेंगे। एक ही स्थान पर बैठे नहीं रहेगे।

30. सुरक्षाकर्मी को यह कर्तव्य होगा कि वह आगुंतको की तलाशी ले एवं एक रजिस्टर में एंट्री करें, तथा चौकन्ने रहकर, प्रवेश द्वार एवं निकास द्वार पर नजर रखें।

31. सुरक्षाकर्मी महाविद्यालय की समस्त सामग्री की रक्षा करेंगे। यदि कोई सामग्री की चोरी करना पाए जाती है तो सामग्री के मूल्य की राशि निविदादाता फर्म के देयक से कटौत्रा की जावेगी।

32. चिकित्सालय परिसर में मरीजों के परिजनों को निर्धारित समय में ही, मरीज से मिलने दिए जाने का उत्तरदायित्व संबंधित सुरक्षाकर्मी का होगा।

33. महाविद्यालय / चिकित्सालय परिसर में, चिकित्सकों / स्टाफ की सुरक्षा करना, संबंधित सुरक्षाकर्मियों का उत्तरदायित्व होगा।

34. हड़ताल / उपद्रव की स्थिति में सुरक्षाकर्मियों द्वारा सुरक्षा का घेरा बनाकर अधिकारियों / चिकित्सकों / स्टाफ को बाहर निकलना होगा।

35. नियुक्त किए गए समस्त सुरक्षाकर्मियों को, सुरक्षा कार्य का प्रशिक्षण दिया जाना होगा, जिससे वह सुरक्षाकार्य पूर्ण जिम्मेदारी से कर सके।

36. समस्त सुरक्षाकर्मी अपने कर्तव्य स्थल पर निर्धारित समय में पूर्ण मुश्तैदी से सुरक्षा कार्य संपादित करेंगे एवं महाविद्यालय / चिकित्सालय को होने वाली हानियों से बचाएंगे।

37. महाविद्यालय / चिकित्सालय परिसर में होने वाले विवाद / झगड़े को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाना, सुरक्षाकर्मी का उत्तरदायित्व होगा।

38. सुरक्षाकर्मियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह अपना कर्तव्य पूर्ण ईमानदारी एवं कठोर अनुशासन एवं लगन से पूर्ण करेंगे।

39. महाविद्यालय के मुख्य द्वार में आने–जाने वाले वाहनो, आगुंतको का सही दिशा–निर्देशन करना एवं मुख्य द्वार पर वाहन एकत्रित न होने देना भी संबंधित सुरक्षाकर्मियों का उत्तरदायित्व होगा।

40. निविदादाता फर्म द्वारा नियुक्त किए सुरक्षाकर्मी का व्यवहार, मृदुल एवं मददपूर्ण होगा जो मरीजों के परिजन / मरीजों तथा अन्य सामान्य जन के लिए सहायता प्रदान करेगा।

41. सुरक्षा हेतु उपयोग में लाए जाने वाली समस्त सामग्री की व्यवस्था निविदादाता फर्म को स्वयं करनी होगी किन्तु सामग्री नियमानुसार लायसेंस सहित हो।

42. निविदादाता फर्म द्वारा नियुक्त किए गए समस्त सुरक्षाकर्मी अपने कर्तव्य स्थल पर किसी प्रकार के मादक पदार्थो/नशे/व्यसन का सेवन नहीं करेंगें। यदि कर्तव्य स्थल पर किसी भी सुरक्षाकर्मी को मादक पदार्थो/बीड़ी सिगरेट या पान गुटखा का सेवन करते हुए पाया जाएगा, तो फर्म पर अधिकतम राशि रु. 1000 का अर्थदण्ड के साथ, संबंधित सुरक्षाकर्मी को हटना होगा।

43. अपने निर्धारित समय एवं कर्तव्य स्थल पर, संबंधित सुरक्षाकर्मी के सोते हुए पाए जाता है तो, फर्म पर अधिकतम राशि रु. 1000 का अर्थदण्ड के साथ, संबंधित सुरक्षाकर्मी को हटना होगा।

44. निविदादाता फर्म द्वारा नियुक्त सुरक्षाकर्मियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 45 वर्ष होना चाहिए। सभी सुरक्षाकर्मी शारीरिक एवं मानसिक रूप से फिट/स्वस्थ होना चाहिए। निविदाकार फर्म, सुरक्षा कार्य हेतु बाल श्रमिकों को नियुक्त नहीं करेगी। ऐसा पाए जाने पर श्रम अधिनियमों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। जिसका संपूर्ण उत्तरदायितव निविदादाता फर्म का होगा।

45. अनुशासनहीनता/बिना पूर्व सूचना के, सुरक्षाकर्मियों की अनुपस्थिति/कर्तव्य स्थल की सुरक्षा में चूक/निर्देशों के पालन न करने पर राशि रु. 500 से 5000 तक अर्थशस्ति प्रति प्रकरण लगाई जा सकेगी। जिसकी वसूली मासिक देयक के भुगतान से कटौत्रा कर की जावेगी।

46. अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सुरक्षा कर्मचारियों के स्थायी/अस्थायी नियुक्ति आदेश देने पर सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था करना आपका उत्तरदायित्व होगा। इस हेतु स्वीकृत निविदा दर से अस्थायी/स्थायी कर्मचारी को वेतन का भुगतान किया जावेगा।

47. सुरक्षा कर्मचारियों को निर्धारित ड्रेस में उपस्थित होना होगा। इस हेतु निर्धारित वर्दी, जूते, केप, लगाए जाने वाले बैच, नेम प्लेट, फोटो आई.सी. कार्ड, रैन कोट, सीटी एवं सुरक्षा सामग्री इत्यादि उपलब्ध कराना निविदादाता फर्म का उत्तरदायित्व होगा। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा पृथक से भुगतान नहीं किया जाएगा।

48. सुरक्षा कर्मचारी के कर्तव्य स्थल अथवा स्थल से बाहर दुर्घटना होने अथवा मृत्यु होने की स्थिति में मुआवजा राशि आदि देने के जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी। इस हादसा/घटना से महाविद्यालय प्रशासन का कोई संबंध नहीं होगा।

49. परिशिष्ट–1 में अंकित समस्त प्रमाण पत्रों को संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा मान्य नहीं की जाएगी। कार्य प्रारंभ किए जाने की दिनांक से निविदादाता फर्म को निर्धारित संख्या में जनशक्ति उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

50. सुरक्षाकर्मियों अथवा फर्म द्वारा संस्था को किसी भी प्रकार की क्षति/हानि पहुॅचाने अथवा महाविद्यालयीन संपत्ति का आर्थिक नुकसान/चोरी करने/होने पर उसकी भरपाई निविदादाता फर्म के मासिक भुगतान अथवा अग्रिम धरोहर राशि से वसूल की जावेगी। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता फर्म का होगा।

51. फर्म द्वारा उक्त सुरक्षा कार्य का पूर्ण अथवा आंशिक हस्तांतरण किसी अन्य व्यक्ति या फर्म को नहीं किया जा सकेगा तथा सुरक्षा व्यवस्था, निविदा वर्ष में संपूर्ण कैलेण्डर दिनों के लिए होगी।

52. निविदादाता फर्म द्वारा सुरक्षा कार्य हेतु प्रति माह जो दर निविदि प्रपत्र में अंकित की गई हो, वह राज्य/केन्द्र शासन तथा अन्य सभी प्रकार के दायित्वों/शुल्कों को मिलाकर होनी चाहिए। उस राशि के अलावा ठेकेदार को अन्य राशि भुगतान मॉगने का अधिकार नहीं होगा और न ही महाविद्यालय द्वारा निविदा दर में स्वीकृत राशि के अलावा अन्य राशि भुगतान की जावेगी।

53. आपातकालीन स्थिति जैसे हड़ताल अथवा किसी विशेष आयोजन पर संबंधित अधिकारी द्वारा सुरक्षा व्यवस्था हेतु दिए गए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

54. आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत फर्म को उक्त अनुबंध के आधार पर होने वाली आय पर नियमानुसार स्त्रोत पर कर की कटौत्री की जाएगी तथा आयकर का पैन क्रं. देना अनिवार्य होगा।

55. सेवाकर अधिनियम के अनुसार यदि देयक में सर्विस टैक्स जोड़ा गया है तो अगले देयक में सर्विस टैक्स जमा करने के चालान की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्यथा आगामी देयक का भुगतान नहीं किया जाएगा।

56. निविदादाता फर्म को वित्तीय वर्ष 2014-15 के सभी कार्यो जैसे आयकर, ईपीएफ जमा, ई.एस.आई.सी. जमा आदि का क्लीयरेंस प्रमाण पत्र, स्वयं के हस्ताक्षर एवं सील से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निविदा स्वीकृति के बाद यदि कोई कर देय पाया जाता है तो वह निविदादाता फर्म द्वारा अदा किया जाएगा साथ ही वह निविदादाता की अयोग्यता का कारण भी होगा एवं ऐसी दशा में अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।

57. सुरक्षा संबंधी सामग्री की सुरक्षा के लिए अलमारी या अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करनी होगी।

58. महाविद्यालय एवं चिकित्सालय की सुरक्षा व्यवस्था हेतु 24 घंटे की जाना हैं अतः फर्म को कार्यादेश जारी होने की दिनांक से, निविदा में दिए गए कार्यतालिका **(Job Chart)** एवं निर्धारित समय-सारणी अनुसार सुरक्षा कार्य कराना होगा।

59. प्रशासन के किसी सुरक्षाकर्मी के कार्य से संतुष्ट न होने पर उसे तत्काल सेवा से हटा दिया जाना अनिवार्य होगा। ठेकेदार द्वारा इस हेतु किए जाने वाले किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जावेगा।

60. प्रत्येक सुरक्षा कर्मी से प्रति एक दिन के वेतन के लिए निर्धारित समय आठ घण्टे का सुरक्षा कार्य कराना अनिवार्य होगा। इन आठ घंटो में वह नियमित रुप से, प्रभारी अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था द्वारा दिए गए मौखिक/लिखित निर्देशानुसार सुरक्षा कार्य करने हेतु बंधनकारी होगा। सुरक्षा कर्मी द्वारा निर्देशो का पालन न करने पर, कर्मचारी के उस दिन के वेतन की कटौत्री करने एवं उसके निष्कासन की कार्यवाही की जाएगी। जिसका पालन फर्म द्वारा किया जाएगा। ध्यान रहे कि, प्रत्येक सुरक्षाकर्मी को निविदा अनुसार प्रतिदिन आठ घंटे काम करना अनिवार्य होगा।

61. सुरक्षाकर्मियों से विशेष परिस्थिति/आयोजनों के समय, दिए गए मौखिक निर्देशानुसार/आवश्यकता पड़ने पर सामान्य कार्य जैसे- सामान ढुलाई, कुर्सी/टेबल लगाना, पेड़ लगाना/उखाड़ना, स्थल समतल करना, किसी मशीन/सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान शिफ्ट करना इत्यादि कार्य कराना फर्म का उत्तरदायित्व होगा।

62. राष्ट्रीय पर्व जैसे पन्द्रह अगस्त/छब्बीस जनवरी/दो अक्टूबर एवं राज्यीय पर्व जैसे एक नंवबर एवं महाविद्यालय स्थापना दिवस 05 नवंबर पर सुरक्षाकर्मियों को विशेष सुरक्षा की जानी होगी।

63. महाविद्यालय में होने वाले वार्षिक समारोह/सांस्कृतिक कार्यक्रम या अन्य राजनैतिक कार्यक्रम या जनप्रतिनिधियों के भ्रमण के दौरान, सुरक्षा व्यवस्था बेहतर बनाए रखने हेतु सुरक्षा व्यवस्था के प्रभारी अधिकारी द्वारा दिए गए मौखिक/लिखित निर्देशों का पालन फर्म द्वारा तत्काल किया जाएगा।

64. निविदाकार फर्म को, शासकीय संस्थानों में ब्लेक लिस्टेड न होने एवं निविदा प्रपत्र में भरी जानकारी तथा संलग्नकों के सत्य होने संबंधी शपथ पत्र 50 रु. के स्टाम्प पर नोटरी कराकर जमा कराना अनिवार्य होगा। (शपथ पत्र का प्रारुप संलग्न है)

65. निविदादाता द्वारा दी गई जानकारी असत्य, संलग्नक फर्जी पाए जाने पर निविदा निरस्त करते हुए, जमा धरोहर राशि राजसात करते हुए, वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता फर्म का होगा।

66. निविदादाता फर्म को सागर नगर निगम क्षेत्र में क्षेत्रीय कार्यालय रखना अनिवार्य होगा।

67. निविदादाता अपनी किसी भी प्रकार की हानि के लिए स्वयं ही जबावदार होगा।

68. ऊपर दी गई शर्तो के अलावा ठेकेदार द्वारा दी गई शर्त मान्य नहीं होगी।

69. अधिष्ठाता बुन्देलखण्ड मेडिकल कॉलेज, सागर को ऊपर दी गई शर्तो में कमी अथवा वृद्धि अथवा संशोधन करने का पूर्ण अधिकार है/होगा।

70. अधिष्ठाता बुन्देलखण्ड मेडिकल कॉलेज, सागर को उक्त निविदा किसी भी समय स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार है/रहेगा।

71. चिकित्सा महाविद्यालय किसी भी शहर की सम्मानीय संस्था (Reputed Institute) होती है इसलिए व्ही.आई.पी./व्ही.व्ही.आई.पी. जनप्रतिनिधियों/अधिकारियों द्वारा उक्त संस्था का निरीक्षण किया जाना निश्चित है। अतः महाविद्यालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था की संपूर्ण जिम्मेदारी एवं जबावदेही निविदादाता फर्म की होगी। किसी भी अधिकारी द्वारा परिसर की सुरक्षा व्यवस्था मे ंकिसी भी प्रकार की कमी इन्द्राज की जाती है, तो यह आपके कार्य की असफलता समझी जावेगी तथा इस बेहतरीन सम्मानीय संस्था (Reputed Institute) की छवि धुमिल करने पर आपकी निविदा समाप्ति की कार्यवाही/अर्थदण्ड लगाने/अग्रिम धरोहर राशि के राजसात करने एवं फर्म को ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही की जावेगी। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व फर्म का होगा। आप महाविद्यालय की बेहतर सुरक्षा व्यवस्था हेतु अपने सुझाव महाविद्यालय प्रबंधन समिति के समक्ष व्यक्त कर सकते है एवं प्रबंधन समिति द्वारा स्वीकृत आपके सुझावों पर त्वरित कार्यवाही महाविद्यालय प्रशासन द्वारा की जावेगी।

72. विवाद की स्थिति में दोनो पक्ष निविदाप्रदाता एवं निविदादाता आपस में विवाद सुलझाने का प्रयास करेंगे। अधिष्ठाता, बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा। समस्त वैधानिक/न्यायिक कार्यवाही के लिए न्यायिक क्षेत्र सागर होगा।

73. निविदादाता फर्म को उपरोक्त शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। निविदा शर्तो के उल्लंघन करने पर प्रति प्रकरण रु. अधिकतम राशि रु. 5000/– अर्थदण्ड करने या अनुबंध निरस्त करने एवं जमा धरोहर राशि राजसात का अधिकार अधिष्ठाता, बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर का होगा। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता फर्म का होगा।

13. सुरक्षा व्यवस्था हेतु कार्य तालिका (Job Chart) :-

13.1 निविदादाता फर्म को महाविद्यालय के संपूर्ण परिसर की सुरक्षा व्यवस्था 24X7 करना होगी। इस हेतु महाविद्यालय के सुरक्षा प्रभारी अधिकारी/सुपरवाईजर द्वारा बनाए गए ड्यूटी रोस्टर का पालन करना अनिवार्य होगा।

13.2 संपूर्ण सुरक्षा स्थल की सुरक्षा व्यवस्था तीन पालियों में की जाएगी। जिसका समय प्रातः प्रातः 6:00 से दोपहर 2:00 बजे तक, दोपहर 2:00 से रात 10:00 बजे तक एवं रात्रि 10:00 से प्रातः 6:00 बजे तक होगा।

13.3 समस्त सुरक्षाकर्मी, फर्म द्वारा नियुक्त किए गए सुपरवाईजरों के निर्देशन में कार्य करेंगे। उक्त सुपरवाईजर, महाविद्यालय द्वारा नियुक्त, सुपरवाईजर एवं प्रभारी अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था के निर्देशन में कार्य करेंगे।

14. सुरक्षा व्यवस्था की निविदा हेतु तकनीकि आवश्यकताऍं :–

उपरोक्त निविदा प्रपत्र का हर पृष्ठ निविदादाता फर्म के प्रोपराईटर अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर एवं सील लगाकर निम्न संलग्नकों के साथ एक सील बंद लिफाफें में जिसके ऊपर सुरक्षा व्यवस्था की तकनीकि निविदा लिखकर **Envelope- "B"** से लिखें :–

निविदादाता फर्म द्वारा प्रस्तुत विवरण :–

1. फर्म का नाम :– ....
2. फर्म के प्रोपराईटर का नाम :– ....
3. फर्म के प्रोपराईटर का मो. नं. :– ....
4. फर्म का पूर्ण पता :– ....
5. फर्म का दूरभाष/फैक्स व ई–मेल नं :– ....
6. फर्म का फोटो आई.डी. नं. :– ....

क्रं.	विवरण	संलग्न है अथवा नहीं
1	संस्था/फर्म का जीवित लेबर लायसेंस केन्द्र अथवा राज्य का होना चाहिए	
2	संस्था/फर्म का सुरक्षा व्यवस्था संचालन के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा जारी प्रमाण पत्र	
3	संस्था/फर्म का स्थाई लेखा क्रमांक (पेन)	
4	संस्था/फर्म का ई.पी.एफ. पंजीयन	
5	संस्था/फर्म का ई.पी.एफ. पंजीयन	
6	संस्था/फर्म का सर्विस टैक्स नंबर/पंजीयन	
7	वित्तीय वर्ष 2014–15 के आयकर रिटर्न जमा करने की प्रति	
8	वित्तीय वर्ष 2014–15 सर्विस टैक्स रिटर्न जमा करने की प्रति	
9	संस्था/फर्म को पिछले तीन वित्तीय वर्षो के ऑडिट की गई बैंलेंस शीट संलग्न होना चाहिए।	
10	अनुभव हेतु संस्था को कम से कम 200 बिस्तरों वाले किसी भी शासकीय/गैर शासकीय चिकित्सालय में सुरक्षा व्यवस्था का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए। जिसकी कुल लागत 50 लाख रुपए वार्षि होना चाहिए तथा जो पिछजे तीन वित्तीय वर्षो में सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया हो। उपरोक्त किए गए कार्य का संस्था द्वारा जारी किया गया <u>कार्य पूर्णतया प्रमाण पत्र</u> संलग्न किया होना चाहिए।	
11	संस्था/फर्म द्वारा ब्लैक लिस्टेड न होने संबंधी 50 रु. के स्टाम्प पर नोटराइज्ड शपथ पत्र परिशिष्ट 2 के अनुसार	
12	संस्था/फर्म द्वारा सुरक्षाकर्मी एवं सुरक्षा सामग्री उपलब्ध कराने हेतु परिशिष्ट 3 में फर्म के लेटर हेड पर जारी प्रमाण पत्र	

नोट :– निविदादाता फर्म/संस्था के पास उक्त समस्त दस्तावेजों को होना अनिवार्य है अन्यथा कि स्थिति में निविदादाता संस्था/फर्म की निविदा को तकनीकि अहर्ता से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता फर्म का होगा।

परिशिष्ट–2

(50 रु. के स्टाम्प पर घोषण पत्र नोटरी कर संलग्न करना अनिवार्य है)

घोषणा पत्र

मैं. .... पुत्र श्री .... उम्र .... (निविदादाता फर्म के प्रोपराईटर/संस्थापक/संचालक का नाम/) फर्म .... पता .... शपथ पूर्वक सत्य घोषणा करता हूँ कि मैंने पूर्ण होश एवं ध्यान से निविदा प्रपत्र एवं निविदा प्रपत्र की शर्ते पूर्णतः पढ़ ली है तथा मुझे सभी शर्ते पूर्णतः मंजूर है। तथा मेरे द्वारा दी गई जानकारी/संलग्नक पूर्णतः सत्य है। किसी भी प्रकार की जानकारी असत्य पाएँ जाने पर मेरी निविदा तत्काल निरस्त कर, वैधानिक कार्यवाही करने हेतु सहमति प्रदान करता हूँ। साथ ही हमारी फर्म को किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय/निगम/मंडल/स्वशासी संस्थानों द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर ....

निविदादाता फर्म का नाम ....

पता :– ....

मोबाईल नं. :– ....

गवाह हस्ताक्षर

1. पूरा नाम :– ....

   पता :– ....

   ....

2. पूरा नाम :– ....

   पता :– ....

   ....

परिशिष्ट–3

सुरक्षाकर्मी एवं सुरक्षा सामग्री उपलब्ध कराने संबंधी फर्म के लेटर हेड पर जारी प्रमाण पत्र

मैं. .... पुत्र श्री .... उम्र .... (निविदादाता फर्म के प्रोपराईटर/संस्थापक/संचालक का नाम/) फर्म .... पता .... यह प्रमाणित करता हूॅ। कि यदि हमारी फर्म को बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय के संपूर्ण परिसर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा प्रदान की जाती है, तो हमारी फर्म, महाविद्यालय प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशानुसार समुचित संख्या में सुरक्षा कर्मी एवं सुपरवाईजर तथा संपूर्ण सुरक्षा सामग्री, दी गई वित्तीय निविदा दर में उपलब्ध कराऍगें।

हस्ताक्षर ....

संचालक/व्यवस्थापक का नाम ....

निविदादाता फर्म का नाम ....

पूर्ण पता :– ....

मोबाईल नं. :– ....

Envelope- "C"

वित्तीय निविदा प्रपत्र

प्रति,

श्रीमान अधिष्ठाता,
बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय,
सागर (म.प्र.)।

विषय :– बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय पसिर की संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था हेतु वित्तीय निविदा दर (सुरक्षाकर्मी व सुरक्षा सामग्री सहित) प्रदान करने बावत्।

आपके द्वारा .... (समाचार पत्र का नाम) में दि. .... को प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में मैं बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय परिसर की संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के कार्य हेतु निम्नानुसार निविदा प्रस्तुत करता हूँ :–

निविदा में उल्लेखित महाविद्यालय परिसर की संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था हेतु वित्तीय निविदा दर पत्रक जिसमें सुरक्षाकर्मी, संपूर्ण सुरक्षा सामग्री, सुपरवाईजर एवं समस्त कर तथा दायित्वों की राशि संयोजित कर ली गई है।

क्रमांक	विवरण	दर (रु. प्रतिदिन) (राशि रुपयों में) समस्त कर व दायित्वों के साथ
1	लायसेंस धारी बंदूक वाले सुरक्षाकमी	रु. ..../– (रु. ....मात्र) प्रति सुरक्षाकर्मी प्रतिदिन
2	साधारण सुरक्षाकर्मी	रु. ..../– (रु. ....मात्र) प्रति सुरक्षाकर्मी प्रतिदिन

विशेष :– निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्ते मैंने पढ़ ली है और वह मुझे पूर्णतः स्वीकार्य है। उक्त निविदा दर के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की राशि देयक में अधिरोपित नहीं की जावेगी।

निविदादाता फर्म का नाम एवं पूर्ण पता :– ....

....

दूरभाष/फैक्स क्रं. :– ....

मोबाइल नं. :– ....

निविदादाता फर्म प्रमुख के हस्ताक्षर :– ....

निविदादाता फर्म प्रमुख का नाम :– ....

निविदादाता फर्म की सील :– ....

नोट :– कृपया एक मुश्त दर नियत स्थान पर ही लिखें किसी प्रकार की कांट–छांट, ओवर राइटिंग न करें। कांट–छांट, ओवर राइटिंग करने या उपरोक्त दरों के अलावा प्रपत्र में किसी अन्य प्रकार नोट/शर्ते लिखने पर निविदा अमान्य कर दी जावेगी।